मालखाना आईटम का निस्तारण

Content

Time: 90 min

1. पुलिस थानों में जप्त वाहनों/मादक पदार्थो एवं स्वापक औषधियों/शराब के निस्तारण बाबत्, कमांक 6504 दिनांक 18.05.2016
2. आदेश, कमांक 7218–72 दिनांक 17.05.2016
3. मालखाना आइटम्स (वाहनों) के निस्तारण हेतु विशेष अभियान के संबंध में, कमांक 6004–6045 दिनांक 13.03.2019

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सी.आई.डी. (अपराध शाखा), राजस्थान, जयपुर।

कमांकः– सीआईडी/सीबी/पीआरसी/2016/6504-55 दिनांकः– 18.05.2016

आदेश

विषयः–पुलिस थानों में जब्त वाहनों/मादक पदार्थो एवं स्वापक औषधियों/ शराब के निस्तारण बाबत्।

राज्य के विभिन्न थानों में जब्त किये गये वाहनों/मादक पदार्थों एवं स्वापक औषधियों/शराब बाबत् परिपत्रों–(1) सीआईडी/सीबी/2011/एनडीपीएस सैल/ 2015/7218–72 दिनांक 17.05.2016 (2) सीआईडी/सीबी/पीआरसी/ परिपत्र/ 2015/16865–915 दिनांक 30.07.2015 (3) 1491–1537 दिनांक 06.11.1999, आबकारी विभाग के परिपत्र संख्या प. 22 (बी) (10) डोपो/आब/ सेटल/2008/836 दिनांक 01.05.2014, भारत का राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 16.01.2015 एवं सुन्दरभाई अम्बालाल देसाई बनाम् गुजरात राज्य सरकार में माननीय उच्चत्तम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय आदि की सहायता से निस्तारण किये ज़ाते हैं।

अतः राज्य के पुलिस थानों में जब्तशुदा मालों के निस्तारण की प्रक्रिया को सरल व सुगम बनाने के लिये ब्लॉक डायग्राम तैयार किये गये हैं। जिन्हें समस्त पुलिस थानों को Circulate (परिचालित) कर प्रभावी कार्यवाही करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

Digitally Signed

Pankaj Kumar Singh
ADGP Crime

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर एवं समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज राजस्थान।
2. समस्त पुलिस उपायुक्त, ज़यपुर/जोधपुर एवं समस्त जिला पुलिस अधीक्षक मय जीआरपी अजमेर/जोधपुर को प्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि इस प्रक्रिया से बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए आप अपने कार्यालय में एक कार्यशाला आयोजित करें जिसमें उप निदेशक अभियोजन का प्रतिनिधि, वृताधिकारी, थानाधिकारी एवं थानों के मालखाना प्रभारी भाग लें। इस कार्यशाला में मालखाना निस्तारण प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षण दिया जावे एवं पालना रिपोर्ट 5 जून तक जरिये ईमेल–dailysitrep@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करावें।

अति. महानिदेशक पुलिस
सी.आई.डी. (अपराध शाखा)
राजस्थान, जयपुर।